2021 | 2...

APP-A
Crim I

Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपजिला मजिस्ट्रेट मुकाम परबतसर

ओमाराम पुत्र पूसाराम जाट निवासी नैणिया बनाम तहसीलदार, परबतसर

किस्म मुकदमा 136 LRA प्रा०पत्र नं. 20/02 सन 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म को तामील में जारी हुए
12.10.2021	प्रार्थी स्वयं ने यह प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा 136 LRA के तहत पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम नैणिया ख० नं. 158, 159, 160 कुल रकबा 0.58 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थी को घर पर प्यार से बोलतानाम जगराम से पुकारते थे लेकिन प्रार्थी का विद्यालय में, राशन कार्ड में, बैंक पास बुक में, पहचान पत्र एवं अन्य सभी दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम ओमप्रकाश है। राजस्व कर्मचारियों ने गलती से प्रार्थी का नाम बोलतानाम जगराम अंकित कर दिया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करने की इस्तदुआ की है। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प नैणिया में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी 1, 2 ने प्रा०पत्र का अवलोकन कर राजस्व रिकार्ड का परीक्षण करते हुए प्रकरण में राजहित निहित नहीं होने से जवाब पेश नहीं करना चाहे जाने पर जवाब बन्द किया गया। अप्रार्थी 3, 4 की ओर से इनके पिता पूसाराम स्वयं उपस्थित होकर निवेदन किया है कि प्रार्थी ओमाराम व अप्रार्थी 3, 4 मेरे पुत्र है। ओमाराम मेरा छोटा पुत्र है जिसको घर पर जगराम नाम से पुकारते है जिसके कारण तीनो पुत्रों के नाम से उक्त भूमि क्रय करते समय बेचान दस्तावेज में गलती से बोलता नाम अंकित कर दिया जबकि सही नाम ओमाराम है। शिविर में मजमें आम जानकारी करने ग्राम के मौजीज व्यक्तियों ने प्रार्थी का सही नाम ओमाराम होना बताया है। प्रार्थी ने आधार कार्ड, मूलनिवास प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड, कक्षा 8 की अंक तालिका, मतदाता पहचान पत्र, आदि की छाया प्रति पेश की है जिसमें प्रार्थी का नाम ओमाराम दर्ज है	ओमाराम पूसाराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों की बाबत प्रार्थी स्वयं के पिता की स्वीकारोक्ति, प्रस्तुत दस्तावेजो एवं ग्राम के मौजीज व्यक्तियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी ओमाराम व जयराम दोनों एक ही व्यक्ति होना प्रतीत होता है। जिससे लोक अदालत की भावना से प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प नैणिया में स्वीकार किया जाकर ग्राम नैणिया के खा० न० 158, 159, 160 कुल रकबा 8.58 हैक्टेयर भूमि में दर्ज जयराम पुत्र पुसाराम जाट के स्थान पर ओमाराम पुत्र पुसाराम जाट दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। तहसीलदार परबतसर को तहरीर जारी होकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। यह आदेश आज मजमें आम खुले कैम्प में मजमें आम सुनाया गया। 12/10/ उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर)